भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4194
उत्तर देने की तारीख 26 मार्च, 2025

तमिलनाडु में 'बीमा ग्राम' योजना

4194. श्री थरानिवेंथन एम. एस. :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'बीमा ग्राम' योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में 'बीमा ग्राम' योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य में अब तक इस योजना के अंतर्गत कितने गांव शामिल किए गए हैं;

(ग) बीमा कवरेज के संदर्भ में 'बीमा ग्राम' योजना से लाभान्वित होने वाले तमिलनाडु के व्यक्तियों की संख्या और इस योजना के अंतर्गत राज्य में निपटाए गए बीमा दावों की कुल राशि कितनी है;

(घ) तमिलनाडु में 'बीमा ग्राम' योजना के अंतर्गत किस प्रकार के बीमा उत्पाद पेश किए जा रहे हैं और किस प्रकार उक्त योजना का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में सुधार करना है;

(ङ) तमिलनाडु में 'बीमा ग्राम' योजना के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं और सरकार बेहतर पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का किस प्रकार समाधान कर रही है; और

(च) तमिलनाडु में ग्रामीण आबादी के बीच 'बीमा ग्राम' योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि योजना से अधिकतम भागीदारी और लाभ सुनिश्चित किया जा सके?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) डाक विभाग की प्रचार-प्रसार स्वरूप की पहल 'बीमा ग्राम योजना' का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसके अंतर्गत चिह्नित गांवों में न्यूनतम 100 परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

(ख) 'बीमा ग्राम योजना' लागू करने के लिए गांवों में विशेष अभियान जैसे डाक चौपालों और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) मेलों का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में 'बीमा ग्राम योजना' के अंतर्गत कुल 4,418 गांवों को कवर किया गया है।

(ग) बीमा कवरेज के संदर्भ में तमिलनाडु में बीमा ग्राम योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 1,67,557 है। तमिलनाडु में चालू वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान, ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के अंतर्गत 608.48 करोड़ रुपए के कुल 80,120 दावों का निपटान किया गया है, जिनमें 'बीमा ग्राम योजना' के अंतर्गत ली गई पॉलिसियों के दावों के निपटान भी शामिल हैं।

(घ) ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के अंतर्गत उपलब्ध सभी छः प्रकार के बीमा उत्पाद तमिलनाडु में 'बीमा ग्राम योजना' के अंतर्गत मुहैया कराए जा रहे हैं। 'बीमा ग्राम योजना' का उद्देश्य, उच्च बोनस दर के साथ किफायती बीमा सेवाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों और अपर्याप्त सेवा वाले क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

(ङ) 'बीमा ग्राम योजना' लागू करने में किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है।

(च) विभाग, तमिलनाडु की ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गांवों में विशेष अभियान जैसे डाक चौपाल और ग्रामीण डाक जीवन बीमा मेले आयोजित कर रहा है ताकि ग्रामीण जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें बीमा ग्राम योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो शो, पोस्टर, बैनर और पेम्फलेट्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

*****